जल संसाधन प्रबंधन प्रयासों का मूल्यांकन
(कोटा जिले के विषेष संदर्भ में)

हर्षदेव चौधरी*
*डॉ. देवेन्द्र मुझाल्दा***

जल संसाधन की योजना में आदर्ष रूप में मुख्य रूप से जल की मात्रा की मॉग की पूर्ति करना माना जाता है। इसमें मॉगें गये जल की मात्रा एवं उसके वह क्षेत्र जहॉ पर उसकी उपयोगिता है, उनकी जानकारी एकत्र करके समान रूप से सभी को जल मुहैया कराया जाता है। जल की मॉग पर विषेष ध्यान देना चाहिए। जिसके अन्तर्गत जल की आपूर्ति को निष्चित किया जा सके। इसके अन्तर्गत दोनों जल क्षेत्रों, भूमिगत एवं सतही का समान रूप से सही प्रयोग करना अनिवार्य होगा। दोनों में से यदि किसी भी एक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाता है तो कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण कई समस्याएॅ उत्पन्न हो सकती है। अध्ययन क्षेत्र में जल का सही उपयोग ना होने के कारण कई समस्याएॅ उत्पन्न हो चुकी है जिससे दिन प्रतिदिन समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है।

प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल के अभाव में मानव जीवन अंसभव है साथ ही प्रकृति में पाये जाने वाले पेड एवं पौधों का अस्तित्व भी संभव नहीं है। प्रकृति की लगभग सम्पूर्ण गतिविधियॉ जल द्वारा ही संचालित होती है। कृषि एवं उद्योग धंधों के विकास में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। आज सम्पूर्ण विष्व की लगभग 7.2 बिलियन जनसंख्या में से लगभग 42 प्रतिषत जनसंख्या स्वच्छ जल की उपलब्धि से वंचित है। प्रत्येक वर्ष लगभग 3.4 मिलियन लोगों की जल जनित बिमारियों से ग्रसित होकर मृत्यु हो जाती है। जल की मात्रात्मक उपलब्धता के संबध में भारत में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है। भारत देष में सम्पूर्ण विष्व का लगभग 2.5 फिसदी भूमिगत तथा लगभग 4 फिसदी मीठा भूतल पर प्राप्त होने वाला जल है। किन्तु फिर भी भारत में कुल मृतक लोगों की जनसंख्या का लगभग 30 से 40 प्रतिषत लोगों की मृत्यु जल जनित रोगों से ही होती है।

जल संकट की समस्या का आरम्भ तो इसके सही वितरण न होने से तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के मध्य उच्च मॉग से हुआ था, परन्तु वर्तमान समय में यह संकट मात्रात्मक संकट के साथ साथ इसका गुणात्मकता का संकट भी इससे जुड़ गया है। औद्योगिक क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों से प्रदूषित जल का बहिस्त्राव ही जल की गुणवत्ता में गिरावट का मुख्य कारण है। जल की मात्रात्मक समस्या का निदान तो कुछ प्रमुख विधियों द्वारा किया जा सकता है किन्तु शहर और औद्योगिक प्रदत्त अपषिष्ट पदार्थ जल की गुणवत्ता को लगभग सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर देते है। अतः वर्तमान समय में जल

* शोधार्थी, भूगोल विभाग, माधव विष्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (आबूरोड़), राजस्थान।
** सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग, माधव विष्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (आबूरोड़), राजस्थान।

संसाधन के दोनों क्षेत्र मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों में ही सुधार की आवष्यकता है किन्तु गुणात्मक पहलू पर सुधार पर जोर की आवष्यकता अधिक है।

अध्ययन क्षेत्र जिला कोटा भी एक ऐसा क्षेत्र है जहॉ अल्प वर्षा होती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहॉ पर वर्षा की अनियमितता बनी रहती है जिसके कारण इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में सूखे–बाढ़ जैसी स्थिती निर्मित हो जाती है। इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष अप्रेल से जून तक इन तीन माह में जल के अभाव के कारण क्षेत्र में जल संकट की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल संकट की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पेयजल की उपलब्धता के लिए लोग बर्तन लेकर मिलों दूर से पेयजल की व्यवस्था करते है। यह संकट इस समय समाचार पत्रों की सुर्खियॉ में भी खूब रहता है। वास्तव में मानसून के समय में अध्ययन क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति निर्मीत होने के साथ – साथ लगभग करोड़ों की सम्पदा का नुकसान होता है वहीं ग्रीष्मकाल में परिस्थितियॉ अकाल की भॉति हो जाती है। पुराने लगभग सभी जल संसाधन क्षेत्र जैसे तालाब, कुऍ आदि पर लोगों के अतिक्रमण एवं प्रषासन के ध्यान न देने के कारण लुप्त होने की कगार पर है।

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र वर्तमान समय में अनेक प्रकार की जल समस्याओं से ग्रसित है। क्षेत्र के कुछ भाग जलाधिक्य से तो कुछ क्षेत्र मुख्यतः बाढ़ से, वहीं कुछ क्षेत्र में लगभग सूखा रहता है तथा कुछ क्षेत्र प्रदूषित जल की समस्या से पीड़ित है। समस्त क्षेत्र में फलोराइड एवं क्षारीयता की समस्या का पाया जाना भी एक गंभीर मुद्दा है। जल आबंटन की सुचारू और समुचित व्यवस्था अध्ययन क्षेत्र में कम ही पायी जाती है। अतः वर्तमान समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जल के कुषल प्रबन्धन की नितान्त आवष्यकता है।

प्राप्त ऑकड़ों का सारणीयन एवं विष्लेषण –

क्रियान्वित सरकारी योजनाओं की जानकारी –

किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने अथवा लाभार्थी को लाभ पहुँचाने हेतु योजना का प्रचार–प्रसार आवश्यक होता है। तभी कोई योजना सुचारू ढंग से क्रियान्वित हो पाती है। अध्ययन क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी के संबंध में उत्तरदाताओं की आवृत्ति को तालिका क्र. 6.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1

क्षेत्र में क्रियान्वित सरकारी योजनाओं की जानकारी

योजनाओं की जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या
हाँ	295 (98.33)
नहीं	05 (1.67)
कुल	**300 (100)**

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रतिशत है।

तालिका क्र. 1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश परिवारों (98.33 प्रतिशत) को सरकार द्वारा चलाई जा रही जल संबंधी योजनाओं की जानकारी है। मात्र 1.67 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही जल संबंधी किसी भी योजना की जानकारी है।

अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि 98.33 प्रतिशत परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जल संबंधी योजनाओं की जानकारी है। मात्र 1.67 प्रतिशत परिवारों कों शासन की किसी भी योजना की जानकारी नहीं है। वर्तमान में पर्याप्त संख्या में संचार साधनों, शिक्षा आदि के स्तर बढ़ने के कारण अधिकांश परिवारों को जल संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है।

कितनी योजनाओं की जानकारी है –

अध्ययन क्षेत्र में स्वाधीनता के पश्चात से ही अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है तथा वर्तमान में भी अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को किसी न किसी योजना की जानकारी है। कुल चलाई जा रही योजनाओं में से उत्तरदाताओं को सभी योजनाओं की जानकारी नहीं है। अतः तालिका से उत्तरदाताओं को ज्ञात योजनाओं की संख्या का पता चलता है।

तालिका 2

योजनओं की जानकारी

योजनाओं की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या
एक	144 (48.81)
दो	112 (37.97)
तीन	37 (12.54)
चार	05 (1.69)
पाँच या पाँच से अधिक	02 (0.68)
कुल	**295 (100)**

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रतिशत है।

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 48.81 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन्हें केवल एक ही सरकारी विकास योजना की जानकारी है। जिनका प्रतिशत सर्वाधिक है। 37.97 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन्हें दो विकास कार्यक्रमों की जानकारी है। तीन विकास कार्यक्रमों की जानकारी रखने वाले 12.54 प्रतिशत परिवार है। 1.69 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन्हें चार विकास कार्यक्रमों की जानकारी है। जबकि पाँच या पाँच से अधिक विकास कार्यक्रमों की जानकारी रखने वाले परिवार मात्र 0.68 प्रतिशत है। यह प्रतिशत अत्यधिक न्यून है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि क्षेत्र में शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी रखने वाले परिवारों में 48.81 प्रतिशत परिवारों को केवल एक ही योजना जिसका प्रचार–प्रसार ज्यादा हुआ की जानकारी है। सभी सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार नहीं होता है। अतः उनकी जानकारी सभी लोगों को नहीं हो पाती है।

योजना का लाभ –

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को क्षेत्र में संचालित किसी न किसी योजना की जानकारी अवश्य है। योजना सफल तब ही मानी जाती है जबकि अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों को उसका लाभ प्राप्त हुआ है। तालिका में योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया गया है –

तालिका 3

आपने किसी योजना का लाभ प्राप्त करने संबंधी अभिमत

योजनाओं का लाभ	उत्तरदाताओं की संख्या
हाँ	295 (98.33)
नहीं	05 (1.67)
कुल	**300 (100)**

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रतिशत है।

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश परिवारों (98.33) ने शासन द्वारा संचालित किसी भी एक विकास योजना का लाभ प्राप्त किया है। मात्र 1.67 प्रतिशत परिवार ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अधिकांश परिवार जिन्होंने जल संबंधी सरकारी विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है उनमें सर्वाधिक मात्रा में ऐसे परिवार हैं जिन्होंने नहर एवं कुआ आदि योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। यदि ऐसे परिवारों को पृथक कर दिया जावे जिन्होंने मात्र नहर या कुआ संबंधी योजना का ही लाभ प्राप्त किया है तो जल संबंधी विकास कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत बहुत ही कम हो जायेगा। वास्तविकता में ऐसी अन्य कई योजनाएँ है जो कि जल संबंधी है की जानकारी बहुत ही कम परिवारों को है तथा जिन्हें हैं वे सभी उनका लाभ नहीं ले पायें है।

कुल 300 परिवारों में से 295 परिवारों ने सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। लाभार्थी परिवारों के द्वारा प्राप्त लाभ का सूक्ष्म अध्ययन तालिका में प्रस्तुत है

तालिका 4

कितनी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है

योजनाओं की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या
एक	221 (74.92)
छो	60 (20.34)
तीन	14 (4.74)
कुल	**295 (100)**

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रतिशत है।

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि 75 प्रतिशत परिवारों ने मात्र एक ही योजना से लाभ प्राप्त किया है। दो योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले 20.34 प्रतिशत परिवार है तथा 4.66 प्रतिशत परिवारों ने तीन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। क्षेत्र में तीन से अधिक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों का अभाव है।

शासन की जल संबंधी वे योजनाएँ जो कि किसी भी परिवार की जल समस्या को खत्म करने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं का लाभ संबंधित कर्मचारियों व स्थानीय नेताओं के द्वारा उनके ही पक्ष के क्षेत्रों एवं परिवारों को दिलवाया जाता है। यही कारण हैं कि एक से अधिक योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत बहुत कम है।

योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आने वाली समस्याएँ –

किसी भी कार्यक्रम अथवा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थी का होना आवश्यक होता है। परंतु अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश परिवार संचालित योजनाओं के लिए पात्र होते हुए भी उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लाभ प्राप्त करने में लाभार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनमें से उत्तरदाताओं से ज्ञात प्रमुख समस्याओं को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5

योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आने वाली समस्याएँ

समस्याएँ	उत्तरदाताओं की संख्या
समय पर लाभ प्राप्त नहीं होता	236 (98.33)
लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिलता	04 (1.67)
संबंधित कर्मचारी पैसे मांगते हैं	236 (98.33)
संबंधित व्यक्ति अपने जान–पहचान वाले को ही लाभ पहुँचाते हैं	104 (43.33)
योजना से संबंधित जानकारी नहीं मिलती	32 (13.33)

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रतिशत है।

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में 98.33 प्रतिशत परिवारों के अनुसार समय पर लाभ प्राप्त नहीं होना तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पैसे की मांग करने जैसी समस्या है। 1. 67 प्रतिशत परिवार लाभ पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाए हैं। 43.33 प्रतिशत परिवारों के अनुसार योजनाओं

से संबंधित व्यक्ति उन्हीं लोगों अथवा परिवारों को लाभ पहुँचाते हैं जो कि उनकी जान–पहचान के होते हैं या उनके पक्ष के होते हैं। जबकि 13.33 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उन्हें समय पर योजनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है।

अतः स्पष्ट है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक समस्याएँ है जिनके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को उनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिसमें पक्षपात, भ्रष्टाचार तथा उचित समय पर लाभ नहीं पहुँचाने जैसी समस्याएँ प्रमुख है।

चित्र – 6.3

योजनाओं का जल प्रबंधन पर प्रभाव –

चूँकी कोटा जिले में जल प्रबंधन की समस्या प्रारंभ से रही है। यही कारण है कि पिछले कई दषकों से जल समस्या के समाधान के संबंध में सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

तालिका 6

योजनाओं का जल प्रबंधन पर प्रभाव

जल प्रबंधन पर प्रभाव	उत्तरदाताओं की संख्या
हाँ	113 (37.67)
नहीं	187 (62.33)
कुल	**300** **(100)**

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रतिशत है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले 50 से अधिक वर्षों में क्रियान्वित योजनाओं का जितना प्रभाव क्षेत्र में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। 37.67 प्रतिशत परिवारों के अनुसार जल प्रबंधन पर प्रभाव हुआ है जबकि 62.33 प्रतिशत परिवारों का मानन है कि जल प्रबंधन संबंधी कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

जल प्रबंधन पर योजनाओं का प्रभाव स्वीकार करने वाले परिवारों के अनुसार पूर्व में उनके परिवार को पर्याप्त मात्रा में वर्ष भर जल उपलब्ध नहीं होता था परंतु वर्तमान में पूर्व की अपेक्षा जल की उपलब्धता बढी है। ऐसे परिवार ज्यादातर नगरीय क्षेत्र या उसके आस–पास में निवास करने वाले हैं। योजनाओं के माध्यम से उन्हें कृषि से संबंधित लाभ जिनमें सिंचाई हेतु कुआ आदि प्रमुख है। शासन की योजनाओं का अपने परिवार पर जल संबंधी योजनाओं का प्रभाव स्वीकार न करने वाले परिवारों के अनुसार शासन की योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को प्राप्त हो पाता है जो पहले से ही सक्षम है या स्थानीय नेता आदि के परिचित है। यदि लाभ प्राप्त होता भी है तो वह पूर्ण रूप से नहीं होता है, साथ ही अनेक प्रकार की समस्याएँ आती है। शासन की अनेक योजनाएँ ऐसी है जिनसे लाभ कुछ ही दिनों के लिए प्राप्त होता है वह भी निश्चित समय पर नहीं मिलता है।

अतः स्पष्ट होता है कि सरकार की योजनाएँ तो ठीक है परंतु उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाने के कारण ये योजनाएँ वास्तविकता में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है और केवल

कागजों में ही पूर्ण होती है। जिस कारण से अध्ययन क्षेत्र में जल प्रबंध संबंधी योजनाओं का प्रभाव कम दिखाई पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ –

1. मेदी अनिता (2009), वैष्विक जल संकट विकट चुनौती, बुक एनकलेव पृ.स. 5
2. गुर्जर रामकुमार व बी.सी. जाट, (2007), जल संसाधन भूगोल, रावत पब्लिकेषन, पृ 141
3. विष्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट (2003) इंटरनेट सूचना।
4. मिश्रा एस.पी. (2010), जल संसाधन प्रबंधन एवं संरक्षण, पृ. 18।